न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0), सोनभद्र।

उपस्थित–श्री सन्त राम (एच0जे0एस0),

सत्र परीक्षण संख्या–05/2012,

राज्य **बनाम** नीरज उर्फ जयदीप वगैरह।
थाना–घोरावल, जिला सोनभद्र।

आरोप

मैं, सन्त राम, अपर सत्र न्यायाधीश, एफ0टी0सी0, सोनभद्र आप अभियुक्तगण नीरज उर्फ जयदीप तथा विनोद को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ।

प्रथम– यह कि दिनॉक 15.09.2010 को समय करीब 07:00 बजे सुबह, बहद स्थान ग्राम सिद्धी, अन्तर्गत थाना घोरावल, जिला सोनभद्र में स्थित नहर की पुलिया के पास सड़क पर आपलोगों ने वादी मुकदमा के बड़े पिता अयोध्या प्रसाद पाठक को लाठी से मार–पीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया था। इस प्रकार ऐसा कार्य करके आपलोगों ने धारा–323 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है। जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय– यह कि उपरोक्त, दिनॉक, समय व स्थान पर आपलोगों ने वादी मुकादमा के बड़े पिता को लोक शान्ति भंग कराने हेतु प्रकोपित करने के आशय से उसे गाली देकर अपमानित किया था। इस प्रकार ऐसा कार्य करके आपलोगों ने धारा–504 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है। जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय– यह कि उपरोक्त दिनॉक, समय व स्थान पर आपलोगों ने आपराधिक अभित्रास करते हुये वादी मुकदमा के बड़े पिता को जान से मारने की धमकी दिया था। इस प्रकार ऐसा कार्य करके आपलोगों ने धारा–506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है। जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ– यह कि उपरोक्त दिनॉक, समय व स्थान पर आपलोगों ने वादी मुकदमा के बड़े पिता अयोध्या प्रसाद पाठक को लाठी से मार–पीट कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित किया जिससे उनके दाहिने हाथ की कलाई की हड्डी टूट गयी थी। इस प्रकार ऐसा कार्य करके आपलोगों ने धारा–325 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है। जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपलोगों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोपों के तहत आपलोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनॉक–05.09.2016

(सन्त राम)
अपर सत्र न्यायाधीश(एफ0टी0सी0),
सोनभद्र।

....2

उपरोक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़ कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तों ने आरोपों से इंकार किया और परीक्षण की मॉग की।

दिनॉक–05.09.2016

(सन्त राम)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–2, सोनभद्र।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0), सोनभद्र।

उपस्थित–श्री सन्त राम (एच0जे0एस0),

सत्र परीक्षण संख्या–05/2012,

राज्य **बनाम** नीरज उर्फ जयदीप वगैरह।
थाना–घोरावल, जिला सोनभद्र।

<u>आदेश</u>

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता,फौजदारी तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को आरोप के स्तर पर सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का भली–भॉति अवलोकन किया गया। अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से अभियुक्तगण नीरज उर्फ जयदीप तथा विनोद के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा–323, 504, 506, 325 भा0दं0सं0 के तहत विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं में आरोप विरचित किया जाता है। अभियोजन पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे अपना साक्ष्य दिनॉक 30.09.2016 को प्रस्तुत करें।

दिनॉक–05.09.2016

(सन्त राम)
अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0),
सोनभद्र।